

इच्छिका - क्वॉट डि सु. नं. 106/12

दिनांक

आज्ञा पत्र

16.5.24

समवती पेश। वकील अपीलान्ट एवं अपीलान्ट स्वयं को बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल में जो लड़ कर बार दिलाई गई। इन्तजार किया गया उपाय का दायजुद अपीलान्ट एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलान्ट अथवा हाजरी एवं अदम करवी में चारिज की जाती है। निर्णय करे इच्छिका सुनाया गया। प्रकरण फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर कद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
रीकर